


19/9/24

वर्षीय फ्रीडिन उपरा। पत्रावली पर बहल छुनी अर्था  
पत्रावली का कथनोक्तन लिखा अर्था। उक्तन।  प्र  
इस उक्तन है कि डा० पत्रा सामन अथ कौतर्गत अथ  
अ२ KTA के तद्वल पेशकर निवादिता इत्यानी ख० सं०

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अदालत  
हुक्म  
में जारी

1280 ग्राम श्रीकमपुरा दरवाज इत्यादि इलाक़ा  
ताहसील करौली पर निगमन आदेश जारी करने  
के लिये निवेदन किया गया। जिस पर व्यवसाय का  
पूर्व में ही दिनांक 4/9/2004 को बालाघाट  
निषेधाज्ञा जारी की। उपरोक्त की कक्षा की उच्च  
पञ्चायती पर उपलब्ध सप्त 'समाकेतो' के अन्वये  
से बालाघाट निषेधाज्ञा की कक्षा की उच्च पञ्चायती  
उचित समझते हैं। अतः आदेश दिया जावे कि  
पूर्व में जारी साक्षिक आदेश दिनांक 4/9/2004  
को मूल रूप के निष्ठाया तक कक्षा की उच्च पञ्चायती  
जाता है। पञ्चायती के अन्तर्गत उच्च पञ्चायती  
को लेकर मूल रूप के सप्त समाकेतो इत्यादि इलाक़ा  
पुनर्जाता गया।

2/2/05

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (पुनः)